नोट :

(I) प्रवेश के समय प्रवेशार्थी का स्वयं उपस्थिति होना अनिवार्य होगा।

(ii) प्रवेश के समय प्रवेशार्थी द्वारा प्रमाण पत्रों एवं अंक तालिकाओं की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(iii) प्रवेश के समय चयनित विषयों में प्रवेश के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

प्रवेश प्रतिबन्ध

1. महाविद्यालय में 07 वर्षों तक अध्ययनरत रह चुके छात्र, एक विषय से संस्थागत छात्र के रूप में परास्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र, तथा किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।
2. विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित साधन प्रयोग (UFM) में दण्डित छात्र दण्ड अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे। ऐसे छात्र महाविद्यालय केन्द्र में भूतपूर्व छात्र/व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
3. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के विनियम अध्याय XIX विनियम–3 के अनुसार महाविद्यालय के प्राचार्य का यह विशेषाधिकार होगा कि वे किसी भी छात्र का प्रवेश /पुनः प्रवेश बिना कोई कारण बताए प्रतिबन्धित कर दें।

उपस्थिति सम्बन्धी सूचना

1. याचिका सं. 4236/2014 पर पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20.03.2014 के समादर में महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र/छात्रा की मासिक पाठ्य उपस्थिति महाविद्यालय की वेबसाइट www.atarrapgc.ac.in पर माह के अन्त में upload की जायेगी।
2. प्रत्येक विद्यार्थी की कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है अन्यथा उन्हें विश्वविद्यालय परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा।
3. विद्यार्थी को उपस्थिति की सूचना केवल महाविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी। 75% से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों की सूची महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर भी चस्पा की जायेगी।

अनुशासन समिति

छात्रों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण तथा उनमें अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से महाविद्यालय में अनुशासन समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक छात्र को अनुशासन समिति के निर्णयों को मानना बाध्यकारी होगा।

1. महाविद्यालय परिसर में प्रत्येक छात्र को परिचय–पत्र रखना अनिवार्य होगा। जाँच के समय परिचय–पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
2. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान, तम्बाकू, गुटका एवं अन्य नशीले पदार्थों का सेवन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। उल्लंघन करने वाले छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं तम्बाकू निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा नियमानुसार अर्थदण्ड भी देय होगा।
3. समय सारिणी के अनुसार विद्यार्थी अपने कक्ष में रहेंगे। खाली घंटो में किसी भी दशा में बरामदे में टहलना निषिद्ध है। छात्राएं खाली घंटो में गर्ल्स कामन रुम में रहेगी। रिक्त समय में छात्र एवं छत्रायें (Gap Period) पुस्तकालय का समुचित लाभ उठा सकते है।
4. महाविद्यालय परिसर में अपना मोबाइल फोन साइलेन्ट मोड में रखना अनिवार्य है।
5. छात्र को महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्रति विनम्र, शिष्ट एवं आदरयुक्त व्यवहार करना होगा।
6. रैगिंग एक संज्ञेय अपराध है। रैगिंग में लिप्त पाये गये छात्र/छात्राओं के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
7. महाविद्यालय परिसर में स्थित पेड–पौधों एवं सम्पत्ति की रक्षा करना प्रत्येक छात्र का दायित्व है। यदि कोई छात्र सम्पत्ति का नुकसान करते फल तोड़ते या वृक्षों को क्षति पहुँचाते पाया गया तो उस पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञान एवं मानवाधिकार शिक्षा के प्रश्न पत्र अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न–पत्र 50 अंक का होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने पर ही स्नातक उपाधि प्राप्त हो सकेगी।

8. स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा परास्नातक (उत्तरार्द्ध) में प्रवेश मूल अंक–तालिका का विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित अंक–चार्ट से मिलान के उपरान्त ही सम्भव होगा।

9. प्रवेश के समय छात्र को आवंटित विषय अन्तिम होंगे। भविष्य में इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

10. प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात छात्र को कार्यालय से शुल्क रसीद के साथ एक प्रवेश–पत्रक प्राप्त होगा, जिसे लेकर वह सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर प्रत्येक विषय की उपस्थिति पंजिका में नाम अंकित कराएगा, तभी उसका प्रवेश पूर्ण माना जाएगा। प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक सप्ताह में विभागों में उपस्थित न होने वाले छात्रों के प्रवेश निरस्त कर दिए जाएंगे तथा योग्यता सूची के अन्य छात्रों को प्रवेश दे दिया जाएगा।

11. प्रवेश के सम्बन्ध में आदेश संख्या बु0वि0/एके0/2013/258–264 दिनांक 22.6.2013 में दिए गए निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा। आदेश विवरण–पत्रिका में मुद्रित है। अनुलग्नक (1)।

12. शासनादेश सं0 : (स्वावित्त)1191/ सत्तर – 2–2010–3 (58)/79 दिनांक 11 जून, 2010 के अनुपालन में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में रिक्त स्थानों के प्रति अनारक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों का प्रवेश योग्यता सूची के अनुसार किये जाने पर विचार किया जायेगा।

13. छात्र/छात्राओं को प्रवेश, परीक्षा, छात्रवृत्ति आदि से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ महाविद्यालय की वेबसाइट www.atarrapgc.ac.in पर यथा समय upload की जायेगी। वेबसाइट पर प्रदर्शित सूचनाएँ विद्यार्थियों को संसूचित मानी जायेगी।

14. प्रवेश लेने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर महाविद्यालय परिसर स्थित इलाहाबाद यू0 पी0 ग्रामीण बैंक में बचत खाता खोलना अनिवार्य है।

15. प्रवेश के उपरान्त प्रत्येक छात्र/छात्रा को ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है तथा महाविद्यालय ड्रेस में ही आना है। छात्राओं के लिए स्लेटी कलर का कुर्ता तथा सफेद सलवार, छात्रों के लिए सफेद षर्ट तथा स्लेटी कलर का पैंट।

आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी निम्नांकित बिन्दुओं का ध्यान रखें

1. आवेदन–पत्र स्वयं अभ्यर्थी द्वारा भरा जाय एवं अभ्यर्थी के संरक्षक/संरक्षिका/पिता/पति द्वारा हस्ताक्षरित हो।
2. आवेदन–पत्र के साथ निम्नांकित प्रपत्र संलग्न करना आवश्यक है।
   (i) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र व अंक–पत्र (स्वप्रमाणित छायाप्रति)
   (ii) इण्टर अंक–पत्र (स्वप्रमाणित छायाप्रति)
   (iii) स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (Transfer Certificate) (मूल प्रति)।
   (iv) प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) (मूल प्रति)।
   (v) चरित्र प्रमाण–पत्र (मूल प्रति) उस विद्यालय के प्राचार्य द्वारा जहाँ से अभ्यर्थी ने इण्टर या पिछली परीक्षा उत्तीर्ण की है।
   (vi) चार पासपोर्ट साइज फोटो, दो आवेदन पत्र पर, एक फोटो परिचय पत्र पर तथा एक परिचय परिलेख प्रपत्र पर चिपका कर आवेदन–पत्र के साथ जमा करें।
   (vii) जाति प्रमाण–पत्र।
   (viii) आय प्रमाण–पत्र
   (ix) विवरण–पत्रिका के साथ संलग्न स्वयं का पता लिखे हुए दो लिफाफे।
   (x) प्रत्येक अभ्यर्थी को E-Mail Id एवं मोबाइल न0 प्रवेश के समय उपलब्ध कराना आवष्यक है जिससे उन्हे महत्वपूर्ण सूचनायें दी जा सकें।

महाविद्यालय की प्रमुख विशेषतायें

1. सुसज्जित केन्द्रीय पुस्तकालय–भवन।
2. सुसज्जित केन्द्रीय पुस्तकालय के अतिरिक्त प्रत्येक परास्नातक विभाग में विभागीय पुस्तकालय।
3. कला, विज्ञान, शिक्षा एवं वाणिज्य संकाय में मान्यता प्राप्त शोध–केन्द्र।
4. उत्तम साज–सज्जा युक्त 120 छात्रों एवं 40 छात्राओं के लिये पृथक–पृथक छात्रावास की व्यवस्था।
5. विज्ञान संकाय में उच्चस्तरीय प्रयोगशालाएँ।
6. राष्ट्रीय सेवा योजना की तीन इकाइयाँ संचालित है।
7. रोवर्स एवं रेंजर्स (स्काउट गाइड) की छात्र एवं छात्राओं के लिए पृथक–पृथक इकाइयाँ।
8. महाविद्यालय परिसर में बैंक तथा डाकघर की व्यवस्था।
9. मेधावी तथा निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता।
10. राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0) छात्र एवं छात्राओ हेतु उत्तम एवं अनुशासित व्यवस्था।
11. खेलकूद की उच्चस्तरीय व्यवस्था। जिमनेसियम युक्त बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय का एक मात्र महाविद्यालय।
12. छात्राओं के लिये कामन रूम की व्यवस्था।
13. उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का अध्ययन केन्द्र।
14. वाई–फाई सुविधा युक्त परिसर।
15. विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था।
16. CCTV कैमरा युक्त परिसर।
17. स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था।
18. चिकित्सा परामर्शकेन्द्र की व्यवस्था।
19. छात्र एवं छात्राओं हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की व्यवस्था।

प्रवेश सम्बन्धी निर्देश

1. स्नातक (प्रथम वर्ष) कक्षाओं (बी0ए0 / बी0एस–सी0 / बी0काम0 / बी0एस–सी0 कृषि) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट अथवा तत्समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. परास्नातक कक्षाओं (एम0ए0 / एम0 एस–सी0 / एम0काम0) में प्रवेश हेतु स्नातक अथवा तत्समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
3. एम0 एस–सी0 (गणित, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान) पूर्वार्द्ध एवं बी.एस–सी. कृषि (प्रथम सेमेस्टर) में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत ही सम्भव होंगे।
4. बी0ए0 / बी0 एस–सी0 / बी0काम एवं परास्नातक (पूर्वार्द्ध) कक्षाओं में प्रवेश, विश्वविद्यालय से प्राप्त योग्यता–सूची के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत ही सम्भव होंगे।
5. छात्रों को बी0ए0 प्रथम वर्ष में 4 विषयों, द्वितीय वर्ष में 3 विषयों तथा तृतीय वर्ष में मात्र 2 विषयों का चयन करना होगा।
6. प्रथम वर्ष में भाषा (हिन्दी / संस्कृत / अंग्रेजी) के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सूची में से किसी एक विषय–संयोजन का चयन करना होगा। विषय–संयोजन का आवंटन मेरिट एवं उपलब्धता के आधार पर होगा।
7. बी0ए0, बी0एस–सी0, बी0एस–सी0 (कृषि) एवं बी0काम0 प्रथम वर्ष के छात्र / छात्राओं के लिए पर्यावरण

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय तीन माह में छात्रों की उपस्थिति के सम्बन्ध में विवरण विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या –252/सत्तर–1–2014 दिनांक 12 मार्च 2014 एवं पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–2182/सत्तर–1–9)–15 (3)/9) दिनांक 12 नवम्बर 1997 एवं शासनादेश संख्या रिट–29/सत्तर–2–2014–16(246)/2010 दिनांक 13 फरवरी 2014 एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या–4236/2014 में छात्रों की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति पर बल देते हुए इस विषय में प्राथमिकता पूर्वक आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई है। कक्षा शिक्षण हेतु अनिवार्य रूप से विस्तृत समय–सारणी बनाई जाये तथा तदनुरूप शिक्षण कार्य सुनिश्चित किया जाये। शिक्षकों द्वारा कक्षाओं में शिक्षण से पूर्व छात्रों की उपस्थिति पंजिका अनिवार्य रूप से भरी जाये तथा इसके आधार पर शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थित रहने वाले छात्रों को ही प्रवेश दिया जाये। अत्यन्त आपवादिक परिस्थितियों में कुलपति द्वारा इसमें पूर्व की भाँति अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी। यहां यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि आगामी शैक्षणिक सत्र से इस निर्देश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा तथा इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

शैक्षिक कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकों की तीन सदस्यीय समिति गठित की जायेगी जो विश्वविद्यालय के समस्त विभागों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों का आकस्मिक रूप से निरीक्षण करेगी एवं निरीक्षण आख्या से कुलपति जी को अवगत करायेगी। उदाहरण हेतु चैक लिस्ट अधोलिखित है। उपरोक्त की अनुपालन आख्या त्रै मासिक प्रतिवेदन के रूप में समस्त महाविद्यालय अपने लॉग इन आई डी पर उपलब्ध कराएंगे जिसकी समीक्षा कर शासन को तदनुसार अवगत कराया जायेगा।

1. इण्टरमीडियट परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अधिकतम 05 वर्ष का अन्तराल मान्य होगा जिसमें तीन वर्ष तक कोई मेरिट हेतु कटौती नहीं होगी इसके पश्चात 02 प्रतिशत की कटौती मेरिट में कर प्रवेश सूची बनाई जायेगी। प्रवेश हेतु वर्षवार स्कैलिंग फार्मूला प्रभावी रहेगा।
2. महाविद्यालयों में कोई छात्र स्नातक स्तर पर केवल दो साहित्यक विषय ही लेगा। शेष विषय महाविद्यालयों में उपलब्ध विषयों में से ले सकेगा। इसके अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान विषय समूह तथा मानविकी विषय समूह संवर्गों के अन्तर्गत प्रवेश लिया जायेगा।
3. स्नातक प्रथमवर्ष में स्कैलिंग हेतु Gap (समयान्तराल) वाले छात्रों को तीनों वर्षों के स्कैलिंग फैक्टर से प्राप्त वर्तमान सत्र का न्यूनतम प्रतिशत प्रवेश हेतु अनुमन्य होगा।

   स्नातक द्वितीय एवं तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष छात्र प्रवेश अर्हता प्राप्त करता है यदि वह उस वर्ष प्रवेश नहीं लेपाता है एवं इसके पश्चात अगले सत्र में प्रवेश चाहता है तो ऐसी स्थिति में उक्त अवधि समयान्तराल के रूप में परिभाषित की जायेगी।

   इण्टरमीडियट/स्नातक करने के पश्चात यदि कोई छात्र/छात्रा किसी अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु जाता है तो अध्ययन की उक्त अवधि को समयान्तराल माना जायेगा। समयान्तराल का यह नियम 01 जुलाई 2011 से प्रभावी होगा इसके पूर्व के वर्षों पर यह नियम प्रभावी नहीं होगा।
4. इण्टरमीडियट में कला/वाणिज्य/व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण छात्र ही बी0ए0/बी0कॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं। इण्टरमीडिएट में विज्ञान से उत्तीर्ण छात्र बी0एस–सी/बी0एस–सी कृषि, बी0कॉम बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं। इण्टरमीडियट कृषि से उत्तीर्ण छात्र बी0एस–सी0 कृषि, बी0ए0 एवं बी0 कॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं।
5. विधि त्रिवर्षीय एवं विधि पंचवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश बार काउंसलिंग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर दिये जा सकते हैं।
6. एम0 ए0 (कला) हेतु किसी भी संकाय से उत्तीर्ण स्नातक छात्रों को प्रवेश दिया जा सकता है।
7. छात्र जिस महाविद्यालय से स्नातक/परास्नातक प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करेगा उसे अनिवार्य रूप से उसी महाविद्यालय में स्नातक/परास्नातक की उपाधि प्राप्त करनी होगी। अर्थात द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा। विशेष परिस्तिथियों में ही विश्वविद्यालय द्वारा स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
8. व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण छात्रों को कला स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि व्यावसायिक धाराओं 36 उपविषयों के किसी एक विषय (700 अंक) को छोड़कर अन्य विषयों में अर्जित अंकों के औसत अंकों के आधार पर प्रवेश के सूचकांक तैयार किये जाये।

   जैसे :– सूचकांक तैयार करते समय व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अर्जित अंकों को छोड़कर अर्थात

	Paper I	Paper II	Paper III	Paper IV	Paper V	Practical	Total
General Hindi	19	23	22				64
Biology	18	17				24	59
VOC G Fond Sub	29	20					49
VOC G Helth Lab	35	35	36	35	28	390	559 D

के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अर्जित अंकों को छोड़कर अर्थात 64+59+49=172/3=57% के आधार पर सूचकांक तैयार किये जायें।

11. संस्थागत छात्रों को आगामी कक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश दिया जा सकता है परन्तु व्यक्तिगत छात्रों को संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जा सकता। किन्तु यह निर्णय प्रयोगात्मक विषयों पर लागू नहीं होगा।
12. विज्ञान वर्ग से इन्टरमीडियट उत्तीर्ण छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे पालीटेक्निक, आई. टी. आई इत्यादि करने जाते हैं तो इनकी इस अवधि को समयान्तराल नहीं माना जायेगा तथा छात्र को प्रयोगात्मक विषयों हेतु संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश दिया जा सकता है। छात्र को सम्बन्धित उपाधि के दुगने वर्षों में परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
13. यदि एम0एस–सी0 प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के बाद छात्र किसी अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे बी0 एड0 आदि करने चला जाता है व इसके पश्चात् एम0एस–सी0 द्वितीय वर्ष में प्रवेश चाहता है तो उसे संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश दिया जायेगा क्योंकि एम0 एस–सी0 व्यक्तिगत करने का प्राविधान नहीं है किन्तु उसे एम0 एस–सी उपाधि चार वर्ष में करना अनिवार्य होगा।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

स्वास्थ्य केन्द्र

महाविद्यालय में स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है, जिसके द्वारा छात्र–छात्राओं को स्वास्थ्य के सन्दर्भ में सम्यक् जानकारी देते हुए उन्हे जागरूक किया जाता है तथा समय–समय पर स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। इसके प्रभारी डॉ0 अनिल तिवारी है।

क्रीड़ा एवं शारीरिक शिक्षा

यह महाविद्यालय अध्ययन के साथ–साथ क्रीड़ा के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खेलों जैसे टेबल–टेनिस, फुटबाल, बालीबाल, बास्केटबाल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिन्टन एवं व्यायाम शाला आदि की समुचित व्यवस्था है। महाविद्यालय की टीमें समय–समय पर विश्वविद्यालयीय तथा अन्तरविश्वविद्यालयीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं तथा विजयी होती है इसके प्रभारी डॉ0 ओमकार मिश्रा है।

छात्रावास

महाविद्यालय में आधुनिक उपकरणों और पूर्ण सज्जा से युक्त विशाल एवं भव्य छात्रावास है। जिसमें 120 छात्रों के आवास की व्यवस्था है। छात्रावास में एक सुसज्जित वाचनालय भी है जिसमें दैनिक, पाक्षिक एवं मासिक उपयोगी पत्र–पत्रिकाओं की व्यवस्था है। छात्रावास में प्रवेश आरक्षण नियमों का पालन करते हुये योग्यता के आधार पर होगा। छात्रावास में रहने वाले प्रत्येक छात्र को अनिवार्य रुप से छात्रावास के नियमों का पालन करना होगा। कोई भी छात्र अपने अतिथि को छात्रावास में नहीं ठहरा सकता है। छात्रावास में प्रवेश आदि के लिए छात्रावास अधीक्षक "डॉ० पी० के० विश्वकर्मा" से सम्पर्क करें।

महिला छात्रावास

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

अध्ययन केन्द्र – समस्त छात्र–छात्राओं एवं अन्य इच्छुक अभ्यर्थियों की रोजगार–परक शिक्षा हेतु अतर्रा पी0जी0 कालेज, अतर्रा में उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का अध्ययन केन्द्र स्थापित है, जिसके अन्तर्गत कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, प्रबन्धन, कम्प्यूटर अप्लीकेशन में स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा तथा पत्रकारिता, पर्यटन, ग्रामीण विकास, फैशन डिजाइनिंग, आपदा प्रबन्धन, पर्यावरण अध्ययन, मानवाधिकार, सशक्तीकरण उद्योग तथा योग में प्रमाण पत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं।

सत्र–2017–18 से प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अध्ययन केन्द्र कार्यालय में समन्वयक **डॉ0 जी0पी0 शुक्ला सहायक प्रोफेसर रसायन विज्ञान विभाग से** सम्पर्क कर पंजीकरण एवं परीक्षा आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है।

योग एवं ध्यान केन्द्र

1. महाविद्यालय में योग एवं ध्यान की एक नियमित इकाई संचालित है। जिसके प्रभारी डॉ0 राजीव अग्रवाल है।

छात्रवृत्तियाँ

1. महाविद्यालय में अध्ययनरत (संस्थागत) सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति / अनु0 जनजाति के छात्रों को शासन द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
2. छात्रवृत्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत आवेदन–पत्र आनलाइन करना एवं हार्डकापी कार्यालय में जमा करना छात्र का दायित्व होगा।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति महाविद्यालय के परिसर स्थित इलाहाबाद यू0पी0 ग्रामीण बैंक में सम्बन्धित छात्र / छात्रा के खाते में अन्तरित की जाती हैं।
4. **छात्र / छात्रा द्वारा समय से आवेदन–पत्र आनलाइन न करने एवं आवेदन–पत्र में सही सूचनाएं न भरने के कारण छात्रवृत्ति प्राप्त न होने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र / छात्रा का होगा।**

रोवर्स एण्ड रेंजर्स

इसमें महाविद्यालय में 48 छात्र / छात्राओं की एक इकाई है जो विभिन्न साहसिक गतिविधियों मे अपना योगदान देती है। रोवर्स एवं रेंजर्स हेतु जिसके प्रभारी श्री डिम्पल कुमार एंव डॉ0 शिखा जैन है।

नेशनल कैडेट कोर (N.C.C.)

महाविद्यालय में एन0सी0सी0 की एक कम्पनी है। जिसमें 155 कैडैट्स (छात्र / छात्राओं) का पंजीकरण होता है। छात्र विस्तृत जानकारी के लिए लेफ्टीनेन्ट "**डॉ0 प्रमोद कुमार विश्वकर्मा** एन0सी0सी0" अधिकारी से सम्पर्क करें। एन0सी0सी0 में स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र / छात्राएँ ही पंजीकरण हेतु अर्ह हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

महाविद्यालय में एन0एस0एस0 की 3 इकाइयाँ हैं जिनके कार्यक्रम–अधिकारी डॉ० आर० बी० कुशवाहा०, डॉ० महेश्वर प्रसाद एवं डॉ0 तरूण कुमार षर्मा है। प्रत्येक इकाई में 100 छात्र होगें, जिनमें से 50 छात्र विशेष शिविर हेतु चुने जायेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना में प्रतिभाग हेतु छात्र सम्बन्धित कार्यक्रम–अधिकारी से सम्पर्क करें। ध्यातव्य है कि एन.एस. एस. की तीन और इकाइयाँ संचालित करने का अनुमोदन उपकुलपति महोदय से माँगा गया है।

छात्र कल्याण समिति

महाविद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापकों एवं छात्रों के प्रतिनिधित्व के साथ छात्र कल्याण समिति का गठन किया जाता है, जिसमें छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं छात्र–सहायता निधि आदि का निस्तारण किया जाता है।

कैरियर काउन्सलिंग समिति

महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं के व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास हेतु कैरियर काउन्सलिंग समिति का गठन किया गया है, जिसमें इच्छुक छात्र–छात्राओं को समुचित परामर्श दिया जाता है।

छात्र शिकायत निवारण समिति

महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन छात्रवृत्ति एवं अन्य किसी भी समस्या का समाधान महाविद्यालय में गठित छात्र–शिकायत निवारण समिति द्वारा किया जाएगा। एवं इसके अतिरिक्त छात्र अपनी षिकायत की वेबसाइट में Student Grievance Redressal Call मे अपलोड कर स्कता है।

नैतिक उन्नयन समिति

छात्र–छात्राओं में नैतिक मूल्यों के संवर्धन एवं विकास हेतु महाविद्यालय में विद्वान प्राध्यापकों की समिति का गठन किया गया है जो विद्यार्थियों में समाज और देश के प्रति उनके नैतिक मूल्यों के उन्नयन एवं सृजन में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

8. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ एवं संस्कारयुक्त बनाये रखने में छात्रों का सहयोग अपेक्षित है।
9. महाविद्यालय भवन, दीवारों एवं अन्य स्थानो पर लेखन एवं विज्ञापन करना पूर्णतः प्रतिबन्धित है। उल्लंघनकर्ता को निजी व्यय पर सफाई एवं पुताई करानी होगी।
10. महाविद्यालय परिसर में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आदि लगाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
11. उपर्युक्त अनुशासन सम्बन्धी निर्देशों का उल्लंघन करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा सम्बन्धित छात्र के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

पुस्तकालय

1. प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रवेश रसीद एवं परिचय–पत्र प्रस्तुत करने पर दो पुस्तकालय कार्ड दिये जाएंगें।
2. एक कार्ड पर एक पुस्तक निर्धारित समय (15 दिन) के लिए प्रदान की जायेगी।
3. विलम्ब से वापस की गयी पुस्तक पर `2 प्रतिदिन प्रति पुस्तक अर्थ दण्ड देय होगा।
4. खोई हुई या क्षतिग्रस्त पुस्तक का चार गुना मूल्य या उसकी दूसरी प्रति जमा करना होगा।
5. पुस्तकालय कार्ड दूसरे छात्र–छात्राओं को देने पर निरस्त कर दिया जायेगा।
6. पुस्तकें प्राप्त करते समय अपना परिचय–पत्र एवं प्रवेश शुल्क रसीद लाना अनिवार्य है।
7. पुस्तकालय कार्ड खो जाने पर रू0 20 शुल्क जमा करने पर दूसरा कार्ड उपलब्ध होगा।
8. पुस्तकालय काउन्टर पर छात्रों को अनुशासित एवं विनम्रता पूर्ण व्यवहार करना आवश्यक है।
9. पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या सीमित है अतः प्रत्येक छात्र/छात्रा को स्वयं पुस्तकों की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

शोध केन्द्र

महाविद्यालय में हिन्दी, संस्कृत, राजनीति शास्त्र, भूगोल, शिक्षा, रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान एवं वाणिज्य में शोध की व्यवस्था है। शोध कार्य के लिए महाविद्यालय की ओर से पुस्तकालय की सुविधा प्रदान की जाती है। शोध केन्द्र में पंजीकरण हेतु शुल्क बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी द्वारा निर्धारित है।

महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका

महाविद्यालय "मन्दाकिनी" नामक पत्रिका का प्रकाशन करता है। जिसमें छात्रों एवं अध्यापकों के उच्च स्तरीय साहित्यिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परक लेख एवं श्रेष्ठ कविताओं का प्रकाशन होता है। इसमें हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी एवं संस्कृत खण्ड भी होते है।

परिचय पत्र

कालेज के प्रत्येक छात्र के पास परिचय–पत्र रहना अनिवार्य है। प्रवेश हेतु आवेदन करते समय छात्र को परिचय–पत्र तथा परिचय परिलेख दिया जायेगा। छात्र परिचय–पत्र तथा परिलेख दोनों को अपेक्षित प्रविष्टियों की पूर्ति कर प्रवेश फार्म के साथ जमा करें। परिचय–पत्र खो जाने पर इस आशय का एक प्रार्थना–पत्र मुख्य अनुशासन अधिकारी (Chief Proctor) को देने तथा `50/– जमा करने पर परिचय–पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त की जा सकेगी।

शुल्क सम्बन्धी निर्देश

1. सभी प्रकार के शुल्कों का भुगतान सत्रारम्भ में प्रवेश के समय करना होगा।
2. शुल्क महाविद्यालय परिसर में स्थित इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक में प्रति दिन 10:30 से 1:30 अपरान्ह तक जमा होगा।
3. एक बार जमा किया शुल्क न तो वापस होगा और न ही समायोजित किया जायेगा।
4. विभिन्न कक्षाओं हेतु शासन द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।